RURAL NON FARM DEVELOPMENT AGENCY
RUDA

3rd Floor, B-Block, Yojana Bhawan
Tilak Marg, Jaipur 302 005 (INDIA)
Phone : +91-141-2226861, 2225619
2222984, 2228512
Fax : +91-141-5104844
E-mail : rudaraj@rajasthan.gov.in
rudaraj.gov@gmail.com
Website : www.ruda.rajasthan.gov.in

क्रमांक:F2(1)RUDA/Store/NGO/2022-23/ 418 दिनांक: 28.07.2022

अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रुडा) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य में गैर कृषि क्षेत्र के उपक्षेत्र ऊन एवं वस्त्र, लघु खनिज, तथा चर्म के दस्तकारों के उन्नयन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाओं, एक्सपोजर विजिट एवं ईडीपी आदि के आयोजनों में रूचि रखने वाले प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट को सूचीबद्ध करने हेतु ई-उपापन के माध्यम से अभिरुचि प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम संख्या	कार्य	ऑन लाइन निविदा प्राप्त होने की अंतिम दिनांक	अनुमानित कुल व्यय	प्रतिभूति राशि	ई-उपापन हेतु प्रक्रिया शुल्क	निविदा प्रपत्र का शुल्क
1	NGO empanelment for training programs, Work-shops, Exposure visits, EDP etc.	08-08-2022	Rs.30.00 Lacs	Rs.10,000/-	Rs.500/-	Rs.500/-

अभिरुचिप्रस्ताव आमंत्रण हेतु निविदा प्रपत्र State Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.gov.in or e-procurement portal http://eproc.rajasthan.gov.in or website www.ruda.rajasthan.gov.inपर उपलब्ध है। निविदादाता द्वारा आवेदन केवल ई-उपापन के माध्यम से दिनांक-08-08-2022 तक ऑनलाइन किये जा सकते हैं।

निविदादाता को बोली दस्तावेज की शुल्क राशिRs.500/- एवं प्रतिभूति राशि Rs.10,000/- बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक "Rural NonFarm Development Agency, Jaipur" के नाम, ई-उपापन शुल्क राशि Rs.500/- बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेकMD RISL, Jaipurके नाम से देय सीलबंद लिफ़ाफ़े में प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ सूचीबद्ध करने की शर्त संख्या 12 के अनुसार Rs.100/-के नॉन ज्युडीशियल स्टाम्प पर दिया जाने वाला मूल शपथ पत्र सीलबंद लिफ़ाफ़े में ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा।

उक्त सभी ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, मूल शपथ पत्र सीलबंद लिफ़ाफ़े में प्रबंध निदेशक रुडा के नाम से दिनांक 10-08-2022 को दोपहर 2 बजे तक ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रुडा), तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में जमा कराना अनिवार्य है। 10-08-2022 को दोपहर 2 बजे पश्चात प्राप्त होने वाले दस्तावेजों को निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अभिरुचि प्रस्ताव 10-08-2022 को सायं 4.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। अन्य विवरण एवं शर्तें प्रपत्र में अंकित हैं।

(नलिनी कठोतिया)IAS
प्रबंध निदेशक, रुडा

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रुडा)

निविदा फ़ार्म

1. निविदा सन्दर्भ : .... दिनांक:......................

क.	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट का नाम	
ख.	सम्बंधित व्यक्ति का नाम	
ग.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
घ.	दूरभाष/ मोबाइल नंबर	
ड.	ई-मेल आई डी	

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (राजस्थान)

2. निविदा- फ़ार्म शुल्क Rs.500/- का विवरण- (डीडी/बेंकर चेक संख्या) ....

दिनांक.........

3. MD, RISL, Jaipur की शुल्क राशि का विवरण- (डीडी/बेंकरचेक संख्या).............

दिनांक.........

4. अमानत राशि का विवरण – (डीडी/बेंकर चेक संख्या) ....

दिनांक.........

हस्ताक्षर प्राधिकृत
पदाधिकारी मय मोहर

दिनांक

ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण

(बी-ब्लाक, तृतीय तल, तिलक मार्ग, योजना भवन, जयपुर फोन न. 2226861)

<u>सूची बद्ध करने की शर्ते</u>

1. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट को न्यूनतम 7वर्ष का अनुभव वांछनीय है।
2. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट को अपने भोगौलिक कार्य क्षेत्र एवं क्राफ्ट का विवरण अंकित करना आवश्यक है।
3. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक की अवधि में उपक्षेत्र-ऊन एवं वस्त्र, चर्म, एवं स्टोन (लघु खनिज) में कम से कम किसी एक उपक्षेत्र (उदाहरणार्थ- प्रिंटिंग, एम्ब्रोइडरी, हैण्ड ब्लाक प्रिंट, मूर्तिकारी, टेराकोटा, मोज़डी, पर्स आदि) में किये गए 3 वर्षों के कार्यादेश में प्रति वर्ष के एक कार्यादेश की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
4. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट को पंजीयन का विधिक प्रमाण-पत्र/ रजिस्टर्ड डीड संलग्न करना आवश्यक है।
5. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबंध कार्यकारिणी/ निदेशक मंडल के सदस्य किसी अपराध के लिए सजायाफ्ता नहीं हो एवं **<u>संस्था किसी भी सरकारी विभाग/ संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं की गयी हो।</u>**
6. गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष हो।
7. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट को वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के टर्न ओवर का सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
8. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट का वर्ष 2016-17 से 2020-21 में से किन्हीं 3 वर्षों का टर्नओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम Rs.10.00 लाख होना अनिवार्य है।
9. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा विधान संलग्न करना अनिवार्य है। विधान के उद्देश्यों में दस्तकारों के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण आदि का उद्देश्य अंकित होना आवश्यक है।
10. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरुचि प्रस्ताव में हस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किये गए प्राधिकारी का प्रमाणपत्र संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मय मोहर संलग्न होना आवश्यक है।
11. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निविदा की नियम एवं शर्ते हस्ताक्षरित मय मोहर होना आवश्यक है।
12. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा निविदा में वर्णित शपथ पत्र नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर व नोटरी से सत्यापित संलग्न करना आवश्यक है।
13. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा संस्था का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
14. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा उनकी संस्था का पेन-कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।
15. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा संस्था में कार्यरत स्थायी कार्मिकों की सूची मय विवरण अंकित करना आवश्यक है।

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

16. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट को योजनाओं में क्रियान्वयन हेतु कार्य आवंटन का निर्णय रुडा प्रबंधन का मान्य होगा। गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट का सूची बद्ध होना किसी प्रकार के कार्यक्रम के आवंटन हेतु बाध्यता नहीं है

17. आवेदक गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट को बतौर अमानत राशि Rs.10,000/- केवल डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चेक के रूप में जमा करानी होगी, इसके अभाव में अभिरुचि प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

18. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा जमा कराई गयी अमानत राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

19. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट के चयन होने पर उनका अनुबंध 31-03-2023 तक प्रभावी होगा एवं पारस्परिक सहमति से इसे एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

20. अभिरुचि प्रस्ताव प्राधिकारी- "प्रबंध निदेशक, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रुडा)", तृतीय तल, योजना भवन, तिलक मार्ग- जयपुर है।

21. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरुचि प्रस्ताव में उत्पन्न किसी भी विवाद के लिए न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।

22. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट के द्वारा प्रस्तुत अभिरुचि प्रस्ताव के निरस्त होने पर उनके द्वारा जमा कराई गयी अमानत राशि प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियमानुसार लौटाई जायेगी।

23. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट को यदि कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य अथवा अन्य अवार्ड मिला हो तो उसकी प्रति संलग्न करें।

24. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा निविदा के साथ संलग्न प्रत्येक दस्तावेज को संस्था के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा स्व-प्रमाणित कर हस्ताक्षर मय संस्था की मोहर लगा कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

25. उपरोक्त वर्णित वैध दस्तावेजों को संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा दस्तावेजों के अभाव में संस्था के अभिरुचि प्रस्ताव अमान्य करार दिए जायेंगे।

26. गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरुचि प्रस्ताव को बिना कारण बताये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण अभिरुचि प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा निर्धारित तिथियों में परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक रुडा का है।

27. अभिरुचि प्रस्ताव के सम्बन्ध में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाइन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रुडा)

हस्ताक्षर प्राधिकृत
पदाधिकारी मय मोहर

तकनीकी भाग

1	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट का नाम	
2	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट के कार्यालय का पूर्ण पता मय पिन कोड	
3	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी व्यक्ति का विवरण- • नाम • दूरभाष नम्बर • मोबाइल नंबर • ई-मेल एड्रेस	
4	गैर सरकारी संगठन का विवरण- • नीति आयोग (एनजीओ दर्पण) आई डी • जीएसटी पंजीयन सूचना (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	
5	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट का पेन नंबर	
6	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा गत 7 वर्षों में संपन्न किये गए कार्यक्रमों के सबंध में सूचना एवं प्रमाण संलग्न करें। (शर्त संख्या 1)	
7	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट का कार्य अनुभव कुल वर्षों में अंकित करें। (शर्त संख्या 3)	
8	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा उनकी प्राथमिकतानुसार अधिकतम 3 जिलों का नाम अंकित करें जहां वो प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम आयोजित करने के इच्छुक हैं। (इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय रुडा का होगा)	
9	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा विगत 5 वर्षों, (2016-17 से 2020-21) में टर्नओवर का सनदी लेखाकार से प्रमाणित विवरण – (प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)। (शर्त संख्या 8)	

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रुडा)

10	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट के विधान के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम/स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराने का उल्लेख। विधान की प्रति संलग्न करें। (शर्त संख्या 9)	
11	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र। (शर्त संख्या 12)	
12	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट में कार्यरत नियमित स्टाफ की संख्या मय सम्पूर्ण विवरण संलग्न करें। (शर्त संख्या 15)	
13	गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा जमा कराई गयी अमानत राशि का विवरण (शर्त संख्या 17)	
14	अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य अथवा अन्य अवार्ड मिला हो तो उसका विवरण व प्रति संलग्न करें। (शर्त संख्या 23)	
15	अन्य विवरण यदि आवश्यक हो तो	

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण

हस्ताक्षर प्राधिकृत
पदाधिकारी मय मोहर

संलग्न दस्तावेजों की सूची

क्रम संख्या	शर्त संख्या	संलग्न दस्तावेजों का विवरण	दस्तावेजों की संख्या (पृष्ट संख्या अंकित करें)	संलग्न है/ नहीं
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

ऊपर वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य दस्तावेज यदि आवश्यक हो तो गैर आवेदित गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट संलग्न कर सकती है।

हस्ताक्षर प्राधिकृत
पदाधिकारी मय मोहर

दिनांक-

शपथ पत्र का प्रारूप

(Rs.100/- के नॉन ज्यूडिसियल स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करें)

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी/ श्री..................................उम्र ....
निवासी...जो कि..
...................................नामक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट में ....पद पर
कार्यरत हूँ, सशपथ घोषणा करता/ करती हूँ की –

1. मैं घोषणा करता हूँ की आवेदक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट के हित में निविदा प्रपत्र भर कर हस्ताक्षर करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुझे प्राधिकृत प्रतिनिधि घोषित किया गया है।
2. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट को अभिरुचि प्रस्ताव में वर्णित गैर कृषि उप क्षेत्र जैसे- ऊन व वस्त्र, लघु खनिज, एवं चर्म क्षेत्र से सम्बंधित दस्तकारों के उन्नयन हेतु आयोजित प्रशिक्षण आदि के कार्यों का न्यूनतम 7 वर्ष का अनुभव है।
3. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट सहकारी विभाग से पंजीकृत है।
4. आवेदक गैर सरकारी संगठन जीएसटी के तहत पंजीकृत है।
5. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अथवा प्रबंध कार्यकारिणी/ निदेशक मंडल के सदस्य किसी अपराध के लिए सजायाफ्ता नहीं हैं।
6. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट गैर राजनीतिक एवं धर्म निरपेक्ष है।
7. आवेदक गैर सरकारी संगठनों/ ट्रस्ट का वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक 5 वर्ष में से किन्हीं 3 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम Rs.10.00 लाख है।
8. आवेदक गैर सरकारी संगठन के पास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त संसाधन एवं स्टाफ उपलब्ध है।
9. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट को केंद्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग/संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
10. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट नीति आयोग (एनजीओ दर्पण) के अंतर्गत पजीकृत है।
11. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट विधान के उद्देशों में दस्तकारों के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण आदि का उद्देश्य अंकित है।
12. मैं गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट का प्राधिकृत प्रतिनिधि संस्था की और से यह स्वीकार करता हूँ कि मेरी संस्था का सूचीबद्ध होना किसी भी प्रकार से रुडा की परियोजना के संचालन में भागीदारी को सुनिश्चित नहीं करता है।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय होंगे।
14. आवेदक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत अभिरुचि प्रस्ताव को बिना कारण बताये स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने एवं सम्पूर्ण अभिरुचि प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा निर्धारित तिथियों में परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक रुडा का मान्य है।

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रुडा)

स्थान :

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

मय मोहर

दिनांक:

सत्यापन

मैं ....पुत्र/पुत्री/पत्नी/ श्री...उम्र ....

निवासी...जो कि...

...................................नामक गैर सरकारी संगठन/ ट्रस्ट में ....पद पर कार्यरत

हूँ सशपथ सत्यापित करता/ करती हूँ की उपरोक्त समस्त विवरण/ तथ्यों मेरी निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य है, इसमे कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है ईश्वर मेरी मदद करे।

नलिनी कठोतिया
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक
ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण (रूडा)

हस्ताक्षर शपथग्रहिता
मय मोहर

स्थान:
दिनांक: